

अनुदान संख्या 92 - इस्पात मंत्रालय
GRANT No. 92 - MINISTRY OF STEEL

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original 116,71,00	236,52,00	80,98,31	-155,53,69
पूरक	Supplementary 119,81,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			155,43,95
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत -	Voted-	1,00,00	..	-1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹ 15553.69 लाख) नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹ 11981.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 66 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹15553.69 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹11981.00 lakhs obtained in November, 2011 and constituted 66 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

Savings occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O. 2037.00	1698.87	1689.73	-9.14
पु.	R. -338.13			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O. 9634.00	6409.18	6408.58	-0.60
पू.	S. 11981.00			
पु.	R. -15205.82			

(I) ₹11981.00 लाख का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष “2852” - “लौह और इस्पात उद्योग - विनिर्माण - बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड” के अंतर्गत आयकर देयताओं को पूरा करने के लिए माफी को सहायता अनुदान में बदलने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - इस्पात मंत्रालय” के अंतर्गत ₹347.27 लाख की बचत (₹2037.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2852” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “लौह एवं इस्पात उद्योग - विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से उगाहे गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को आर्थिक सहायता” - ₹279.33 लाख की बचत (₹4690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स निर्माण लिमिटेड को आर्थिक सहायता की ब्याज दर में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य - अन्य व्यय - लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन के लिए स्कीम” - ₹2937.28 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा 50% राशि का अपना अंशदान देने में विलम्ब होने, बौद्धिक सम्पत्ति शक्तियों की शर्त टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा स्वीकार न किए जाने और खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर में उपस्करों की अधिप्राप्ति में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Supplementary provision of ₹11981.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head “2852” - “Iron and Steel Industries – Manufacture - Bisra Stone Lime Company Limited” – due to non-receipt of approval from Cabinet for modification from waiver to grant in aid to discharge the income tax liability.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat – Ministry of Steel” - saving of ₹347.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2037.00 lakhs) was due to reduction of provision of revised estimates stage.

(III) Under Major Head “2852” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Iron and Steel Industries – Manufacture - Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme” – saving of ₹279.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4690.00 lakhs) was due to reduction in the rate of interest subsidy to Hindustan Steel Works Construction Limited.

(B) “General – Other expenditure - Scheme for promotion of Research and Development in Iron and Steel Sector” – saving of ₹2937.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to delay by Steel Authority of India Limited on their contribution of 50% amount, non-acceptance of Intellectual Property Rights(IPR) condition by Tata Steel Ltd. and procedural delay in Institute of Mineral and Materials Technology, Bhubnaswar in procurement of equipments.

2. In the capital section of the grant, provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.